

श्री जिस तिलोपाई श्री विनायक तिलोपाई शेरपुर महाराष्ट्र श्री
 प्रसाद निवासी लुनिनी सांस्कृतिक न. पा. १ रूपरेखा, नेपाल
 आचार्य विद्या की सुचना दी है कि एक उद्योग का पर्यटन
 विद्या विशेष विद्या अधिनियम १९५४ के अन्तर्गत का प्रत्यक्ष
 होना आवश्यक है।
 अतः सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि इस
 विद्या के रजिस्ट्रेशन के बारे में यदि किसी को किसी प्रकार या
 कोई आपत्ति हो तो यह नोटिस जारी करने के दिवस से अन्तर्गत
 दिवस अर्थात् आपत्ति जिला कलेक्टर के प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त
 अवधि समाप्त होने पर विचार पत्र प्रेषित करने दिया जायेगा।
 विद्या अधिकारी का जिला मजिस्ट्रेट, हवाई मार्गों पर